



भारत सरकार

Government of India

खान मंत्रालय

**Ministry of Mines** 

भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines** 

Mine Code: 38RAJ09002

दिनांक : 05.09.2019

**Makhupura Industrial Area** 

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र.

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

संख्या : RAJ/CHT/LST-5 Vol.-III

प्रजैट, कारुन्दा चूना पत्थर खान.

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,

(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),

कैलाश नगर- 312617,निम्बाहेरा,जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान)

ईमेल- maheem.kachhwaha@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Limestone Mine (M.L. No. 3/2003, Lease area 240.86 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State. महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 16.08.2019 by the undersigned in presence of Sh. Peeyush Kumar Ameta, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review
	of Mining Plan (Approved on 28.11.2018): -
	(i) Large quantity of Limestone boulders were lying all around on the benches in Northern Pit
	during the inspection.
Rule 45(7)	In annual return 2018-19 following descripencies were observed:
	1) Under item 3 of Part IV, the OB removed has been shown 0 tonnes whereas in item 4.2
	(C) (ii) during the year 4300 tonnes of OB/Waste has been dumped in external dumps.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

खनन पटटे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेलद्वारा)।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोडगढ़।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो